



सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार**खसरा
और रुबैला**
टीकाकरण अभियान**एम.आर. सूचना कार्ड**

प्रिय अभिभावक,

एक राष्ट्रव्यापी अभियान के अन्तर्गत खसरा तथा रुबैला के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए खसरा-रुबैला (एम.आर.) का एक टीका स्कूलों तथा आउटरीच सत्रों में आरम्भ किया जाएगा। इस एम.आर. टीके को बाद में नियमित टीकाकरण में शामिल कर लिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि इस अभियान के अन्तर्गत 9 माह से 15 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को यह टीका लगाया जाए, भले ही पहले उन्हें एम.आर./एम.एम.आर. का टीका दिया जा चुका हो।

मूल कारण : खसरा रोग के सफाये तथा रुबैला को नियंत्रित करने के लिए 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को यह टीका दिया जाना अत्यावश्यक है।

खसरा :

खसरा एक जानलेवा रोग है जो वायरस द्वारा फैलता है। बच्चों में खसरे के कारण विकलांगता तथा असमय मृत्यु हो सकती है।

रुबैला :

रुबैला एक संक्रामक रोग है जो वायरस द्वारा फैलता है। इसके लक्षण खसरा रोग जैसे होते हैं। यह लड़के या लड़की - दोनों को संक्रमित कर सकता है। यदि कोई महिला गर्भावस्था के शुरुआती चरण में इससे संक्रमित हो जाए तो कंजैनिटल रुबैला सिंड्रोम (सी.आर.एस) हो सकता है जो उसके भ्रूण तथा नवजात शिशु के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

**याद रखने योग्य बातें**

- ⊙ इस अभियान के दौरान यह टीका 9 माह से 15 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को जरूर लगवाया जाना चाहिए
- ⊙ इसे सभी स्कूलों, सामुदायिक सत्रों, (आउटरीच) आँगनवाड़ी केन्द्रों और सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगाया जाएगा
- ⊙ यदि किसी बच्चे को एम.आर./एम.एम.आर. का टीका पहले से लगाया जा चुका हो तो भी उसे यह टीका अवश्य लगवाएँ
- ⊙ खसरा-रुबैला का टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है एवं सामान्यतः इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते
- ⊙ बच्चों को यह टीका एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा लगाया जाएगा
- ⊙ इस सामूहिक अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें



**खसरे को खत्म करने तथा
रुबैला पर नियंत्रण के लिए
हमारा देश कृतसंकल्प है**



कृपया अपने 9 माह से 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को खसरा-रुबैला टीकाकरण हेतु अभियान स्थल पर लेकर आएँ



स्कूलों, आँगनवाड़ी केन्द्रों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह टीका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लगाया जाएगा। आपसे निवेदन है कि निर्धारित दिन पर स्कूल/आँगनवाड़ी केन्द्र पर अपने बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

एम.आर.अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ए.एन.एम, आशा एवं आँगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर संपर्क करें।
फोन/ई-मेल संपर्क:- 011-23813476/011-23813219/ rch.immunization@gmail.com/mrcampaignindia@gmail.com



परिवार कल्याण निदेशालय, दिल्ली सरकार